

DEAR PARENTS

We have been sharing our concern repeatedly about safe transportation for all children to and from home to school.

Security and safety of school children is our prime concern and for the same purpose, we need your cooperation for ensuring safety of students travelling by private Vans.

It is once again requested that all the guidelines issued by Hon'ble Supreme Court of India should be complied with by the Owner/Contractors of the Vans/ hired by you.

Kindly ensure that the following measures have been undertaken:-

- 1. The van is registered with Transport Department of the Private Motor Registration Act and a Fitness Certificate has been procured to operate the van. The registered vehicle is equipped with safety features including Speed Governors, GPRS devices, Fire Extinguisher and a First Aid Box.
- 2. The drop off time of the children at school by private vans should be 10 minutes before the arrival. It is observed that many of the vans have two round to cover up therefore they drop students early 30 to 40 minutes early outside the school which is not safe as there are stray animal, people with running vehicle on the road.
- 3. It is here to mention that the school gate will open only after the teachers arrive in the school campus as we cannot leave the students alone in the school building. It is hereby advised that you make sure that the child arrives just 10 minutes before the arrival time.
- 4. The pick-up time from the school should be five minutes prior to school dispersal time. Check the van driver, if he is late in picking your ward from the school in afternoon as children are susceptible to injury when they are left to their own beyond school hours. Vans should leave with their children by 2:30 pm without fail.
- 5. Keep a regular check that van driver is not driving negligently or indulging in rash driving.

Parents are advised to monitor the drivers deployed personally, to ensure the safety of the children. The safety of the child should be the topmost priority of any parent.

The safety of the child travelling by private van engaged by you is your responsibility as the school is neither hiring such vans nor can possibly check that drivers are complying with Supreme Court Guidelines for safe transportation of children, as there are more than 20 such vans. It is advised that you use the school bus if the bus facility is available in your route as it has GPS tracking system, Cameras, Panic Button, Lady attendant and teacher on duty when dispersal.

Soliciting your active involvement, cooperation and support for safety and security of all children.

Ksingh

Kuldeep Singh Principal हम सभी बच्चों के लिए घर से स्कूल तक सुरक्षित परिवहन के बारे में अपनी चिंता बार-बार साझा करते रहे हैं। स्कूली बच्चों की सुरक्षा हमारी प्रमुख चिंता है और इसी उद्देश्य से, निजी वैन से यात्रा करने वाले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्वित करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है।

एक बार फिर अनुरोध है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए सभी दिशानिर्देशों का आपके द्वारा किराए पर ली गई वैन के मालिकों/ठेकेदारों द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए।

कृपया स्निश्चित करें कि निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

- 1. वैन निजी मोटर पंजीकरण अधिनियम के परिवहन विभाग के साथ पंजीकृत है और वैन को संचालित करने के लिए एक फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है। पंजीकृत वाहन स्पीड गवर्नर, जीपीआरएस उपकरण, अग्निशामक और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स सहित सुरक्षा सुविधाओं से सुसज्जित है।
- 2. निजी वैन द्वारा बच्चों को स्कूल छोड़ने का समय आगमन से 10 मिनट पहले होना चाहिए। यह देखा गया है कि कई वैन में कवर करने के लिए दो राउंड होते हैं इसलिए वे छात्रों को स्कूल के बाहर 30 से 40 मिनट पहले छोड़ देते हैं जो सुरक्षित नहीं है क्योंकि सड़क पर आवारा जानवर, दौड़ते वाहन वाले लोग होते हैं।
- 3. यहां बता दें कि स्क<mark>ूल का गेट शिक्षकों</mark> के स्कूल परिसर में आने <mark>के बाद ही खु</mark>लेगा क्योंकि हम छात्रों को स्कूल भवन में अकेला नहीं छोड़ सकते। इसके द्वारा यह सलाह दी जाती है कि आप सुनिश्चित करें कि बच्चा आगमन समय से केवल 10 मिनट पहले पहुंचे।
- 4. स्कूल से पिक-अप का समय स्कूल की छुट्टी के समय से पांच मिनट पहले होना चाहिए। वैन ड्राइवर की जांच करें, अगर वह दोपहर में आपके वार्ड को स्कूल से लेने में देर कर रहा है, क्योंकि बच्चों को स्कूल के घंटों के बाद उनके हाल पर छोड़ दिए जाने पर चोट लगने की आशंका रहती है। वैन को अपने बच्चों के साथ दोपहर 2:30 बजे तक अवश्य निकल जाना चाहिए।
- 5. नियमित रूप से जांच करते रहें कि वैन चालक लापरवाही से गाड़ी तो नहीं चला रहा है.
- 6. माता-पिता को सलाह दी जाती है कि वे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से तैनात ड्राइवरों की निगरानी करें। बच्चे की सुरक्षा किसी भी माता-पिता की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

आपके द्वारा लगाई गई निजी वैन से यात्रा करने वाले बच्चों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि स्कूल न तो ऐसी वैन किराए पर ले रहा है और न ही संभवतः यह जांच कर सकता है कि ड्राइवर बच्चों के सुरक्षित परिवहन के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी 20 से अधिक वैन हैं। यह सलाह दी जाती है कि यदि आपके रूट में बस की सुविधा उपलब्ध है तो आप स्कूल बस का उपयोग करें क्योंकि इसमें जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, कैमरा, पैनिक बटन, महिला परिचारक और इयूटी पर शिक्षक मौजूद हैं।

सभी बच्चों की सुरक्षा के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी, सहयोग और समर्थन का आग्रह करता हूँ।